

समाज कल्याण विभाग
दिल्ली सरकार
विधान सभा अतांशकित प्रश्न संख्या: 281
प्रश्नकर्ता: श्री शिव चरण गोयल
दिनांक: 11.08.2017

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

	प्रश्न	उत्तर
(क)	फरवरी 2015 से पहले मोती नगर विधान सभा में समाज कल्याण विभाग से पेंशन पाने वाली विधवा, विकलांग, सीनियर सिटीजन एवं तलाकशुदा महिलाओं की कितनी संख्या थी;	फरवरी 2015 से पहले मोती नगर विधान सभा में समाज कल्याण विभाग से पेंशन पाने वाली विधवा, विकलांग, सीनियर सिटीजन एवं तलाकशुदा महिलाओं की कुल संख्या निम्न प्रकार है- वृद्धावस्था लाभार्थी - 3397 विकलांग लाभार्थी - 235 विधवा लाभार्थी - 850
(ख)	इन्हें इस योजना के तहत कितनी राशि मिलती है, और	योजनानुसार सहायता राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है - वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत रूपये 2000/- 60-69 आयु वर्ग के वृद्धजनों को एवं रूपये 2500/- प्रतिमाह 70 और उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को दी जाती है विकलांग पेंशन योजना -रूपये 2500/-प्रतिमाह। विधवा पेंशन योजना -रूपये 2500/-प्रतिमाह।
(ग)	फरवरी 2015 से जुलाई 2017 तक कितनी पेंशन लग चुकी हैं?	फरवरी 2015 से जुलाई 2017 तक लग चुकी पेंशन का ब्यौरा निम्न प्रकार है - वृद्धावस्था लाभार्थी - 436 विकलांग लाभार्थी - 322 विधवा लाभार्थी - 677

पंकज कुमार
S P Director (Social Welfare)
Social Welfare Department
Govt. of NCT of Delhi
G.L.V.S. Complex, Delhi Gate
New Delhi-110002